तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **रामस्परूप बनाम सरकार** **31/2020**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
04.01.2021	पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी एवं वकील अपीलार्थी अनुपस्थित। राजकीय अधिवक्ता उपस्थित। अपीलार्थी एवं वकील अपीलार्थी को कई बार आवाज लगाई गई परन्तु कोई उपस्थित नही हुआ। अतः अपील अपीलार्थी अदम हाजरी अदम पेरवी में खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड निणर्य की प्रति के साथ लौटाया जावे। इस न्यायालय की पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद पूर्ति लेख भण्डार हो। (नरेन्द्र गुप्ता) अति. संभागीय आयुक्त, जयपुर	

मु.नं. 23/2008

2017/0012
ADC

श्री रामजी

अपील सं. 31/201

सेवा में, 2017/00118

न्यायालय अति० संभागीय आयुक्त महोदय, जयपुर [राज०]

==

5/3/2008
फो.
14/3/08

अपील संख्या ---------- सन 2008

----

1. रामस्वरूप पुत्र श्री कुबराम जाति जाट निवासी ग्राम जातपुर तहसील रामगढ जिला अलवर -- अपीलान्ट

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार रामगढ लैण्ड होल्डर -- रेस्पाडेन्ट

अपील विरुद्ध आदेश दिनांक 18.1.2008 न्यायालय उप खण्ड अधिकारी रामगढ

प्रस्तुतकर्ता श्री उमेशकुमार ऐडवो. एडी. बाद जांच रिपोर्ट लेकर दर्ज रजिस्टर किया जावे। तलबी रेस्पो. व तहत रिकार्ड तलब होकर दि० 16/5/08 को श्रीमान् कैम्प अलवर पेश हो। 14 3/08.

अपील अपीलान्ट निम्न लिखित प्रस्तुत है:-

1. यहहै कि एक प्रार्थना पत्र धारा 136 भू.राजस्व अधिनियम का अपील ने मातहत अदालत श्रीमान् उप खण्ड अधिकारी रामगढ के यहां प्रस्तुत किया जिसमें विनीत की कि आराजी साबिकखसरा नंबर 18 रकबा 2 बीघा 2 बिस्वा, 199 रकबा 2 बीघा 1 बिस्वा, जिसके हाल ख नंबर 26 रकबा 53 ऐयर, 322 रकबा 52 ऐयर, वाके ग्राम जातपुर तह रामगढ जिला अलवर में है जो आराजी पहले प्रभू, रामपत, कैलाश पु रामचन्दर जाति जाट निवासी गूंदपुर के कब्जे काश्त खातेदारी की और उन्होने इस जमीन को बेचान का मुहायदा कर अपीलान्टको 29.5.95 को प्रतिफल लेकर बयनामा पंजीबद्ध करा दिया। इस बयन

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

दस्तावेज